

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

पत्रांक-डी०डी०-1-विविध-37/2021-22(पार्ट-4).....

7763 (गि) 31/12

पटना, दिनांक-25/9/23

प्रेषक,

राकेश कुमार,
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
सभी भवन प्रमंडल,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

विषय:- कुर्सी क्षेत्रफल अद्यतन करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अपने प्रमंडलाधीन नवनिर्मित भवनों, जिनका Defect Liability Period समाप्त हो चुका हो का कुर्सी क्षेत्रफल विहित प्रपत्र में भरकर एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करा कर एक सप्ताह के अंदर विभाग को समर्पित करे, ताकि कुर्सी क्षेत्रफल अद्यतन करने के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा सके।
अनु०:- विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव
दिनांक-25/9/23

ज्ञापांक-7763 (गि)

प्रतिलिपि:- सभी अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, भवन निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव
दिनांक-25/9/23

ज्ञापांक-7763 (गि)

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव
25/9/23

भवन निर्माण विभाग

प्रमंडल का नाम:-		सामान्य सार		अंचल का नाम:-
क्र० सं०	विभाग का नाम	पेज सं०	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	भवन निर्माण विभाग सामान्य प्रशासन कल्याण विभाग कला संस्कृति एवं युवा विभाग विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग न्यायिक विभाग उद्योग विभाग पशुपालन विभाग श्रम विभाग वाणिज्य कर विभाग कारा विभाग ग्रामीण विकास प्रखंड भवन उत्पाद विभाग वित्त विभाग			प्रमाणित किया जाता है कि :- 1. यह प्रतिवेदन प्रमंडलीय स्तर पर तैयार किया गया है। 2. इस प्रतिवेदन में कुल -- पृष्ठ है। 3. यह प्रतिवेदन प्रमंडलीय भवन पंजी के आधार पर तैयार किया गया है एवं पूर्ण रूपेण सही है। 4. इस प्रतिवेदन में अंकित विवरणी प्राप्त अभिलेखों के आधार पर सही है। 5. एक भवन की प्रतिस्ति विवरणी में एक ही बार की गई है। 6. इस प्रतिवेदन में वर्णित भवन तीन वर्ष पूर्व से निर्मित है। 7. इस प्रतिवेदन में अंकित कुर्सी क्षेत्रफल पूर्व के भवनों एवं अतिरिक्त भवनों के कुर्सी क्षेत्रफल जोड़ कर अंकित किया गया है।

कार्यपालक अभियंता

भवन प्रमंडल,

अधीक्षण अभियंता,

भवन अंचल,

ग नाम्—

अंचल का नाम:-

[illegible]

अष्टीक्षण अभियंता,
भवन अंचल,

पञ्चम का गाथा-

अंश का नाम:-

[illegible]

सं- अतिथि भवन के अनुमति कार्यालय में श्री. श्री. श्री.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions, both incoming and outgoing, to ensure transparency and accountability. It emphasizes the need for regular audits and the use of reliable accounting software to track expenses and income effectively.

अपिज्ञान अपिपत्ता.
मयन अपत्त.